103

न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मण्डल केम्प भोपाल ग्वालियर म.प्र.

प्र0कं0...../निगरानी/14-15

निगरानी 1570-I-15

01. मृतक स्व. गुलाम नवी पुत्र फजले नवी द्वारा विधिक वारिसान आरिफा जहॉ पत्नी आगा जमील खान पुत्री स्व. गुलाब नवी निवासी म.नं. 36, श्यामला हिल्स भोपाल.
02. राजा मियॉ पुत्र फैयाज नवी
03. भूरा पुत्र फैयाज नवी
04. गुलफाम मियॉ पुत्र फैयाज नवी
05. शानमियॉ ना.बा. पुत्र फैयाज नवी
06. फूलवी ना.बा. पुत्री फैयाज नवी संरक्षक भाई राजा मियॉ पुत्र फैयाज नवी
07. नफीसा बी वेवा फैयाज नवी
08. वानो बी बेवा फैयाज नवी निवासी-मूडराघाट तहसील सिरोंज जिला-बिदिशा म0प्र0 .....निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

01. शिव्वो बी उर्फ विव्वीबाई पुत्री फजले नवी पत्नी ऐनमिया नि. मो. टोरी सिरोंज
02. हसीन मियॉ पुत्र चांदनी बी अब्दुल रहमान
03. हफीज मियॉ पुत्र चांदनी बी अब्दुल रहमान
04. भूरा पुत्र चांदनी बी अब्दुल रहमान नि. सिरोंज
05. शकीला पुत्री चांदनी बी अब्दुल रहमान पत्नी वसीर अहमद निवासी-भोपाल.
06. रजिया बी पुत्री चांदनी आ. रहमान पत्नी हसीन मियॉ निवासी- भोपाल. .....रेस्पॉडेन्ट्स

:: निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ::

महोदय,

सेवा में यह निगरानी श्रीमान् राजस्व आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण कं. 163/अपील/12-13 में पारित आदेश दि. 18.05.2015 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही हैं ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

01. यह कि ग्राम मूडराघाट ह.नं. 12, तहसील सिरोंज जिला-बिदिशा स्थित ख.कं. 230 मिन रकवा 16.465 हेक्टर थी जिसके भूमिस्वामी फजले नवी थे जो राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज थी जो कि मूल भूमिस्वामी फजले

निरंतर...2.....

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1570-एक/15 जिला - विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-6-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 163/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 18-5-15 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मूडराघाट स्थित विवादित भूमि पर उभयपक्षों का फोती नामांतरण पटवारी सजरा के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 9-6-89को किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा दिनांक 10-11-2010 को जानकारी दिनांक से अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र के साथ प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सिंरोज के समक्ष पेश की । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 13-6-2013 द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन सद्भावना पर आधारित न होने से अपील निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की गई है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस पेश की गई है। 4/ उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नामांतरण का है जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 9-6-1989 को वारिसाना आधार पर फोती नामांतरण किया गया । जिसके विरूद्ध आवेदकों द्वारा एस0डी0ओ0 के समक्ष दिनांक 10-11-2010 को अपील की गई जिसे उन्होंने अवधि बाह्य मानते हुए निरस्त	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर फौती नामांतरण स्वीकार किया गया । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदक क्रमांक 1 स्व. गुलामनवी एवं अपीलार्थी क्रमांक 2 के वारिसों द्वारा दिनांक 17-5-2008 को शासन द्वारा ओलापीड़ित मुआवजा राशि प्राप्त की गई, इससे स्पष्ट है कि उन्हें फोती नामांतरण की जानकारी थी । आवेदकों द्वारा 21 वर्ष के लंबे विलंब का ठोस आधार प्रस्तुत न करने के कारण अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । सदस्य	